

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-1

### संभाग की संरचना

### संगठन, कृत्य, तथा कर्तव्यों की विशिष्टताएँ

#### मेन्युअल-1

स्थापत्यकला ।

- जिले की सड़कों एवं पुलों का सर्वेक्षण रूपांकन परिकल्पना ,निर्माण, सुधार एवं देख-रेख ।
- क्षेत्रीय विकास के लिये सौंपे गये कार्यों को कार्यान्वित करना ।
- यह संभाग भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में मार्गों एवं पुलों से संबंधित सर्वेक्षण, रूपांकन, निर्माण और रख-रखाव का कार्य भी सम्पन्न करता है ।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ।
- अंतर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण ।
- समय-समय पर सौंपे गये अन्य कोई कार्य ।

**संगठनात्मक गठन-** कार्यपालन यंत्री संभाग के प्रमुख होंगे । कार्यपालन यंत्री संभाग की सभी गतिविधियों पर पर्यवेक्षण रखेगा एवं संभाग के व्यवस्थित कार्य संपादन के लिये शासन के प्रति दायी होगा ।


**संभाग-(क)** विभाग की कार्यकारी इकाई कार्यपालन यंत्री के प्रभार में होने वाला संभाग है जो सहायक यंत्री गण के लिये विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है । कार्यपालन यंत्री उसके संभाग के अन्तर्गत कार्यों के प्रबन्ध एवं निष्पादन के लिये दायी है ।

**(ख)** संभाग अधिकारी प्राथमिक संवितरक के रूप में संपूर्ण संभाग के सभी वित्तीय संव्यवहारों एवं खातों के उचित रख रखाव के लिये दायी होगा । अंकेक्षण एवं सामान्य लेखों में सम्मिलित करने के लिये नियत दिनांक तक उससे महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने की अतिरिक्त अपेक्षा भी की जाती है । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके संभाग के लेखों को बकाया होने की अनुमति नहीं दी गई है ।

**उप-खण्ड-** संभाग को उप-खण्डों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उप-खण्ड सहायक यंत्री के प्रभार में होगा जो विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, अनुविभागीय अधिकारी उसके उप-खण्ड के अधीन कार्य के निष्पादन एवं प्रबन्ध के लिये कार्यपालन यंत्री के प्रति जिम्मेदार है ।

**अनुभाग-** उपखण्ड को उपअभियंता के प्रभार में , अनुभागों में विभक्त किया जाता है जो कि उसके अनुभाग में कार्य के निष्पादन एवं प्रबन्ध के लिये दायी होगा । अनुभाग, उनकी सीमायें, एवं मुख्यालय को सहायक यंत्री द्वारा नियत किया जावेगा । किसी अभियंता को अनुभाग का प्रभार नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित प्रशिक्षण नहीं ले चुका है अथवा लेखे परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर चुका है ।

इस संभाग की संरचना का वर्णनात्मक विवरण एवं श्रेणीबद्ध मानचित्र निम्नानुसार है।



### संभागीय कार्यालय की स्वीकृत संख्या

कार्यपालन यंत्री	—	1
संलग्न अधिकारी	—	1
संभागीय लेखा अधिकारी	—	1
मानचित्रकार	—	1
सहायक मानचित्रकार	—	1
अनुरेखक	—	1
सहायक ग्रेड-2	—	2
सहायक ग्रेड-3	—	8
दफ्तरी	—	1
भृत्य	—	4

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-2

मेन्युअल-2

### अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मकार/नियोजितों की शक्तियां और कर्तव्य

- कार्यपालन यंत्री, अनु विभागीय अधिकारी के अलावा उसके खण्ड के भीतर किसी अधिकारी का स्थानान्तर करने में सक्षम है।

**संभाग-(क)** विभाग की कार्यकारी इकाई कार्यपालन यंत्री के प्रभार में होने वाला संभाग है जो सहायक यंत्री गण के लिये विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। कार्यपालन यंत्री उसके संभाग के अन्तर्गत कार्यों के प्रबन्ध एवं निष्पादन के लिये दायी है।

**(ख)** संभाग अधिकारी संभाग के प्राथमिक संवितरक के रूप में संपूर्ण संभाग के सभी वित्तीय संव्यवहारों एवं खातों के उचित रख रखाव के लिये दायी होगा। अंकेक्षण एवं सामान्य लेखों में सम्मिलित करने के लिये नियत दिनांक तक उससे महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके संभाग के लेखों को बकाया होने की अनुमति नहीं दी गई है।

**उप-खण्ड-** संभाग को उप-खण्डों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक उप-खण्ड सहायक यंत्री के प्रभार में होगा जो विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, अनुविभागीय अधिकारी उसके उप-खण्ड के अधीन कार्य के निष्पादन एवं प्रबन्ध के लिये कार्यपालन यंत्री के प्रति जिम्मेदार है।

**अनुभाग-** उपखण्ड को उपअभियंता के प्रभार में, अनुभागों में विभक्त किया जाता है जो कि उसके अनुभाग में कार्य के निष्पादन एवं प्रबन्ध के लिये दायी होगा। अनुभाग, उनकी सीमायें, एवं मुख्यालय को सहायक यंत्री द्वारा नियत किया जावेगा। किसी अभियंता को अनुभाग का प्रभार नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विहित प्रशिक्षित कार्यक्रम को नहीं ले चुका है अथवा लेखे परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर चुका है।

विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्य function एवं जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली 1983 खण्ड-II भाग I के अपेन्डायस से 1.25, 1.26 एवं 1.28 Read with (Ammended)/ Administrative circulars issued/uptodate में विस्तृत रूप से दर्शाये गये हैं। इसके साथ-साथ म.प्र. वित्त संहिता वाल्यूम V एवं II में निहित अधिकार भी उपरोक्त अधिकारियों को प्रदत्त है।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-3

मेन्युअल-3

### विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही का माध्यम/सारणी भी

यह संभाग जिले के लोक भवनो, पुलो, एवं सड़कों के निर्माण हेतु प्रमुख अभिकरण है जैसा कि विस्तार से मेन्युअल I में दर्शाया गया है। विभाग में सहायक यंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री तक के स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप लिये जाने वाले निर्णयो को विस्तार से मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली - 1983 खण्ड II भाग I के अपेन्डिक्स 1.33 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय, स्थापना एवं कार्य नियमावली एवं नियमावली में समय-समय पर जारी किये गये संशोधन भी संलग्न किये गये है।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-4

मेन्युअल-4

### कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना

- **मापदण्ड:-** प्रत्येक संभाग, उपसंभाग तथा अनुभाग का कार्यक्षेत्र एवं कार्य का परिमाण विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से संवाहित किये गये हैं। जो कि संलग्न हैं।
- **एवं अन्य मापदण्ड:-** वित्तीय एवं अन्य मापदण्ड भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये निर्माण विभाग नियमावली 1983 के खण्ड-2 भाग -1 के एपेन्डिक्स 1.33 तथा 2.30 में दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा परिपत्रों के माध्यम से इसे अद्यतन किया गया है। परिपत्रों की सूची संलग्न है।
- कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां देने बाबत समय सीमा हेतु प्रत्येक स्तर पर समय निर्धारण हेतु परिपत्र जारी किये गये हैं जो कि संलग्न हैं।
- निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु भी विभिन्न स्तरों पर समय सीमा परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई है जो कि संलग्न हैं।
- **गुणवत्ता प्रबंधन :-** निर्माण कार्य का स्तर एवं विशिष्टता का सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभाग निम्न लिखित कोड्स(codes) का परिपालन करता है।
  - आई.आर.सी. कोड्स
  - नेशनल बिल्डिंग कोड
  - बी.आई.एस कोड्स
  - सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं रेट डाटा एनालिसिस
  - एम.ओ.आर.एस.टी.एच. स्पेसिफिकेशन
  - शड्यूल आफ रेट
  - बुक आफ फानेन्शियल पावर्स
- विभाग द्वारा विषय वस्तु से संबंधित परिपत्र, एमेंडमेंट्स एवं निर्देश संबंधित परिपत्र संलग्न हैं।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-5

मेन्यू-5

कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कमचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मेन्यूअल्स, और अभिलेख

- वर्कस डिपार्टमेन्ट नियमावली खण्ड I
  - खण्ड II भाग - I
  - खण्ड II भाग - II
- मेन्यूल में दर्शाये गये रिकार्डस
  - जैसा कि :- कार्य संबंधी
    - बिल्डिंग रजिस्टर
    - पुल, पुलियों एवं मार्गों के रजिस्टर
    - प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर
    - तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर
    - रोड मेटल रेट बुक
    - टेंडर रजिस्टर
    - शेड्यूल आफ रेट्स
    - अन्य रिकार्ड जो मेन्यूअल में दर्शाये गये है
  - स्थापना संबंधी
  - भर्ती नियम - सर्विस रूल्स
  - सेवा पुस्तिका
    - ग्रेडेशन लिस्ट
    - पदस्थापना रजिस्टर
    - विभागीय ढांचा
    - विभिन्न श्रेणियों के Pay Scales
    - समय समय पर प्राप्त Pay Scales revised तथा मंहगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाओं संबंधी Circulars and Orders

- **लेखा एवं बजट संबंधी**

- विधान सभा द्वारा पारित बजट
- वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन
- माहवारी आय, व्यय, संबंधी जानकारी
- Vouchers
- एवं अन्य रिकार्ड नियमावली में दर्शाये अनुसार

- **गुणवत्ता प्रबंधन**

- इन्डियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित कोड्स(Codes)
- एम.ओ.आर.एस.टी स्पेसिफिकेशनस
- सी.पी.डब्ल्यू.डी स्पेसिफिकेशनस एवं रेट डेटा बुक्स
- बी.आइ.एस. कोड्स
- नेशनल बिल्डिंग्स कोड्स
- शेड्यूल ऑफ रेट्स

**सामान्य**

निर्माण विभाग नियमावली खण्ड2 भाग 2 के Appendics 9.11 में दर्शाये गये अन्य अभिलेख एवं इन अभिलेखों के परिलक्षित करने की समय सीमा।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग  
सूचना के अधिकार अधिनियम -2005  
धारा-4(1) b-6

मेन्युअल-6

धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

- योजना से संबंधित
- बजट से संबंधित
- स्थापना से संबंधित
- सामान्य (निविदा,टोल इत्यादि से संबंधित)
- उपरोक्त अभिलोखों की विस्तृत जानकारी निर्माण विभाग नियमावली 1983 के भाग 2 खण्ड 2 के अपेन्डिक्स 9.11 में विस्तृत रूप से दी गई है।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-7

मेन्युअल-7

नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा उसके कार्यान्वयन/परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध/व्यवस्था की विशिष्टियां जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिये या प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये मौजूद है/अस्तित्व में है।

इस संभाग के अंतर्गत जन प्रतिनिधि सदस्य नामांकित जैसी कोई परामर्शदात्री समिति नहीं है ।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-8

मेन्युअल-8

बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति गठन के भाग के रूप में अथवा परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं, का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिये(सार्वजनिक रूप से) खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुंच योग्य/अभिगम्य हैं।

- निविदा एवं खरीदी स्वीकृत हेतु शासन स्तर, प्रमुख अभियंता स्तर, मुख्य अभियंता स्तर, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री स्तर पर समितियां गठित हैं।
- इस संबंध में जारी समितियों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से खुली नहीं है।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-9

मेन्युअल-9

### लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ के अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभाग में कुल अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या 63 है।

श्रेणीवार विभाजन नियमानुसार है:-

कार्यपालन यंत्री	—	1
सहायक यंत्री	—	1
संभागीय लेखाधिकारी	—	1
उपयंत्री (सिविल)	—	18
उपयंत्री (वि०/यां०)	—	3
मानचित्रकार	—	1
सहायक मानचित्रकार	—	1
अनुरेखक	—	5
सहायक ग्रेड-2	—	2
सहायक ग्रेड-3	—	19
भृत्य	—	11
कन्ट्रॅजेंसी एवं कार्यभारित सेवाएँ	—	121

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-10

मेन्युअल-10

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जा रहे मासिक पारिश्रमिक (**remuneration**) तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति (**System**)

संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते की जानकारी निम्नानुसार है ।

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति  
(नियमित स्थापना)

क्र०	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5
1	श्री जी० एस० मण्डलोई	कार्यपालन यंत्री	19026	—
2	श्री लाल जी वर्मा	सहायक यंत्री	21041	—
3	श्री डी० एस० नेगी	संभागीय लेखा अधि.	19809	—
4	श्री आर० के० जैन	उपयंत्री	15810	—
5	श्री एच० पी० सिंह	"	16236	—
6	श्री जी० डी० कुम्हार	"	15810	—
7	श्री आर० के० विश्वकर्मा	"	12173	—
8	श्री ए० के० श्रीवास्तव	"	11935	—
9	श्री ए० के० त्रिपाठी	"	11315	—
10	श्री ए० के० गुप्ता	"	11315	—
11	श्री बी० डी० सोनी	"	11315	—
12	श्री डी० पी० साहू	"	11333	—
13	श्री डी० के० शुक्ला	"	11183	—
14	श्री आर० के० अड़जरिया	"	10540	—
15	श्री एम० एस० कुशवाह	"	10540	—
16	श्री पी० के० जैन	"	10574	—
17	श्री एस० पी० रिछारिया	"	9843	—
18	श्री आर० एन० अहिरवार	"	9761	—
19	श्री ए० के० सोनी	"	9145	—
20	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	"	9293	—
21	श्री एम० एल० खरे	उपयंत्री (वि./यां०)	15810	—
22	श्री एस० सी० जैन	"	14032	—
23	श्री आर० के० खरे	"	12561	—

24	श्री एस0 आर0 रिछारिया	मानचित्रकार	11089	—
25	श्री एस0 के0 कोली	सहायक मानचित्रकार	7595	—
26	श्री याकूब खान	अनुरेखक	7314	—
27	श्री बी0 एल0 अहिरवार	"	7037	—
28	श्री पी0 सी0 जाटव	"	5890	—
29	श्री एस0 पी0 अहिरवार	"	5890	—
30	श्री संजय चौधरी	"	5425	—
31	श्री बी0 डी0 वर्मा	सहायक ग्रेड-2	9759	—
32	श्री आर0 एस0 रजक	"	8683	—
33	श्री के0 आर0 श्रोत्रिय	सहायक ग्रेड-3	8974	—
34	श्री एल0 पी0 गुप्ता	"	8348	—
35	श्री आर0 एल0 तिवारी	"	8235	—
36	श्रीमती मंजूलता त्रिपाठी	"	7615	—
37	श्रीमती चंपादेवी गौतम	"	7346	—
38	श्रीमती विमलाबाई वढोनियां	"	6293	—
39	श्री आर0 के0 सक्सेना	"	6964	—
40	श्री हाकिम सिंह यादव	"	6313	—
41	श्री सियाराम मिश्रा	"	5941	—
42	श्री उमाशंकर मिश्रा	"	6065	—
43	श्री उमेश कुमार चतुर्वेदी	"	5943	—
44	श्री रियाज अहमद	"	5943	—
45	श्री मोहन कुमार आर्या	"	5794	—
46	श्री घनश्याम दास कुम्हार	"	5704	—
47	श्री कुम्भेर सिंह लोधी	"	5711	—
48	श्री राकेश सक्सेना	"	7449	—
49	श्री जी0 आर0 अहिरवार	"	6026	—
50	श्री रमेश चन्द्र नाई	"	6899	—
51	श्री बी0 डी0 खरे	"	8586	—
52	श्री बारेलाल कुशवाहा	भृत्य	5452	—
53	श्री रमेश कुमार तोमर	"	5653	—
54	श्री मथुरा प्रसाद सौर	"	4992	—
55	श्री राजेन्द्र प्रसाद बसौर	"	5039	—
56	श्रीमती राधम्मा	"	4881	—
57	श्री मुन्नालाल अहिरवार	"	4897	—
58	श्री रामरतन कुशवाहा	"	5083	—
59	श्री रामस्वरूप खरे	"	4787	—
60	श्री देशराज कोरी	"	4902	—
61	श्रीमती अशोक कुमारी निगम	"	4692	—
62	श्री कमलेश सक्सेना	"	4525	—
		<b>योग</b>	<b>554134</b>	

प्रत्येक कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति  
(कार्यभारित स्थापना)

क्र0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5
1	श्री लल्लूराम नापित	स्थल सहायक	6458	—
2	श्री जाहर सिंह सोलंकी	"	6221	—
3	श्री नारायण सिंह बुन्देला	"	6281	—
4	श्री अजीज बेग	"	5985	—
5	श्री करन सिंह	"	6222	—
6	श्री के0 डी0 घोषी	"	6103	—
7	श्री मुकुट बिहारी श्रीवास्तव	"	6221	—
8	श्री रामबहादुर पटैरिया	"	6025	—
9	श्री बालकृष्ण मिश्रा	"	5819	—
10	श्री श्रीप्रसाद त्रिपाठी	"	5875	—
11	श्री ग्या प्रसाद त्रिपाठी	"	5874	—
12	श्री जानकी शरण मिश्रा	"	5886	—
13	श्री अशोक कुमार गुप्ता	"	6115	—
14	श्री लक्ष्मी प्रसाद खरे	"	5874	—
15	श्री परमानंद यादव	"	6054	—
16	श्री बालकिशन रैकवार	"	5819	—
17	श्री धरमदास कुशवाहा	"	5765	—
18	श्री आशाराम मिश्रा	"	5875	—
19	श्री सुरेश प्रसाद खरे	"	5931	—
20	श्री महेश प्रसाद सक्सेना	"	6018	—
21	श्री सियाराम नायक	"	5655	—
22	श्री मैथलीशरण शर्मा	"	5875	—
23	श्री प्यारेलाल अहिरवार	"	5765	—
24	श्री भरतलाल खरे	"	5544	—
25	श्री रविशंकर शर्मा	"	5875	—
26	श्री जगदीश पाठक	"	5875	—
27	श्री प्रेमसिंह सिसौदिया	"	5655	—
28	श्री लालाराम तिवारी	"	5655	—
29	श्री ओम प्रकाश गौतम	"	5985	—
30	श्री हरचरण सोनी	"	5765	—
31	श्री घनश्याम दास तिवारी	"	5880	—
32	श्री राजेन्द्र प्रसाद बुनकर	"	5765	—
33	श्री इस्तयाक मोहम्मद	"	5819	—
34	श्री बासूदेव रावत	"	5655	—
35	श्री उमाशंकर मिश्रा	"	5565	—
36	श्री राजेन्द्र प्रसाद खरे	"	5709	—
37	श्री सत्य प्रकाश बिलगैया	"	5655	—
38	श्री चितामन शर्मा	"	5655	—
39	श्री रमाकांत पाठक	"	5655	—

40	श्री मुन्नालाल सक्सेना	"	5655	—
41	श्री अंबिका प्रसाद खरे	"	5655	—
42	श्री रामस्वरूप कुम्हार	"	5544	—
43	श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला	"	5653	—
44	श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी	"	5444	—
45	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	"	5131	—
46	श्री अशोक कुमार पटैरिया	"	5131	—
47	श्री मुन्नालाल जैन	"	5201	—
48	श्री अजय कुमार मिश्रा	"	4480	—
49	श्री रमेश चन्द्र साहू	"	5214	—
50	श्री अब्दुल पप्पू	स्टोर चौकीदार	5503	—
51	श्री सालिगराम रैकवार	"	5659	—
52	श्री रनमत सिंह	"	5555	—
53	श्री अनवर खान	"	5285	—
54	श्री रामबगस यादव	"	5606	—
55	श्री भगवानदास रैकवार	चौकीदार	5606	—
56	श्री रामेश्वर	"	5215	—
57	श्री लच्छी ढीमर	"	5070	—
58	श्री चन्द्रभान नापित	"	5070	—
59	श्री बसंतलाल विश्वकर्मा	"	5070	—
60	श्री नत्थू चढार	"	5118	—
61	श्री सुक्का रजक	"	5069	—
62	श्री धरमदास बुनकर	"	5118	—
63	श्री घनश्याम ढीमर	"	4990	—
64	श्री सीताराम यादव	"	5023	—
65	श्री इन्द्रलाल रैकवार	"	4927	—
66	श्री रामनाथ यादव	"	4736	—
67	श्रीमती कमलेश सिंह बुन्देला	"	4594	—
68	श्री मोहम्मद सलीम शेख कुरैशी	"	4597	—
69	श्री कल्लू जोशी	"	4105	—
70	श्री अमान कुशावाहा	"	5081	—
71	श्री महिपाल सिंह घोषी	"	5118	—
72	श्री हरदयाल रैकवार	"	5070	—
73	श्री बलराम लोधी	"	5070	—
74	श्री रामेश्वर प्रसाद व्यास	केयर टेकर	5070	—
75	श्री मुन्ना खान	"	5070	—
76	श्री गनपत बुनकर	माली	5118	—
77	श्री बैजनाथ बुनकर	"	5118	—
78	श्री चतुर्भुज अहिरवार	"	5069	—
79	श्री मनका अहिरवार	"	5118	—
80	श्री भैयालाल रैकवार	"	5070	—
81	श्री सीताराम अहिरवार	"	5070	—
82	श्री बिन्दा ढीमर	"	5070	—
83	श्रीमती गौरीबाई बुनकर	"	4347	—
84	श्री इस्माईल खान	खानसामा	4990	—
85	श्री अशोक कुमार रैकवार	कुक	4832	—
86	श्री महेन्द्र कुमार	स्वीपर	5118	—

87	श्री बहीद खान	वासरमेन	4448	—
88	श्री भगवानदास नापित	टेलीफोन अटेन्डेंट	4990	—
89	श्री दुरजू लाल रैकवार	वाटरमेन	5118	—
90	श्री हरप्रसाद कुशवाहा	पंप अटेन्डेंट	4179	—
91	श्री कालका प्रसाद तिवारी	चालक	8220	—
92	श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा	"	7328	—
93	श्री गुलई रजक	"	7662	—
94	श्री बाबूलाल जोशी	"	7905	—
95	श्री भानू प्रताप रिछारिया	"	7662	—
96	श्री रामलाल विश्वकर्मा	"	7344	—
97	श्री घनश्याम यादव	"	7259	—
98	श्री रामकिशोर कुशवाहा	हेल्पर	5555	—
99	श्री किरन राना	"	5142	—
100	श्री जय प्रकाश गगोले	"	5503	—
101	श्री मुन्नालाल रजक	"	5859	—
102	श्री रामकुमार खरे	"	5118	—
103	श्री रमेश प्रसाद यादव	"	5023	—
104	श्री शेख आरिफ	"	4975	—
105	श्री मोहम्मद जहीर	"	5616	—
106	श्री उत्तम चन्द्र जैन	"	5023	—
107	श्री गोकुल प्रसाद रजक	"	5042	—
108	श्री जमुना प्रसाद वर्मा	"	4975	—
109	श्री गुलाब लुहार	"	5023	—
110	श्री सोबरन सिंह	"	5118	—
111	श्री रसीद अली	"	4975	—
112	श्री चेनु रैकवार	"	5023	—
113	श्री लल्लू राम रैकवार	"	5118	—
114	श्री अवधेश पुरी गोस्वामी	"	5068	—
115	श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर	"	4641	—
116	श्री घन्सू कुशवाहा	वायरमेन	6084	—
117	श्री हल्के यादव	मिक्सर ड्राइवर	6191	—
118	श्री मोहनलाल लुहार	ब्लेक स्मिथ	6072	—
119	श्री बाबूराम शर्मा	सहायक फिटर	5960	—
120	श्री रामरतन सिंह कुशवाहा	सहायक वायरमेन	4847	—
121	श्री हरिराम नायक	फिटर	6946	—

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-11

मेन्युअल-11

**प्रत्येक अभिकरण के लिये आवंटित बजट समस्त योजनाओं की, प्रस्तावित खर्चों (व्ययों) की तथा किये गये भुगतानों/अदायगी की रिपोर्ट्स की विशिष्टियां**

**संभाग/जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2005-06 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी**

क्र0	शीर्ष/उपशीर्ष	प्राप्त आवंटन 9/05	व्यय 9/05
1	2	3	4
1	67/4059 जेल सुधारों की योजना	50.00	3.30
2	19/4210 अस्पताल और औषधालय	8.00	1.86
3	67/4211 ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण (लिधौरा में पी0एच0सी0)	5.00	—
4	64/4210 विशेष घटक योजना	2.00	—
5	24/5054 ग्रामीण मार्ग (1222) बावरी जेवरा चंदेरा हीरानगर कारी मार्ग	13.68	6.91
6	24/5054 केन्द्रीय सड़क निधि (948)	250.00	201.28
7	24/5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (M.N.P.) (2457) सुधासागर	7.11	2.30
8	76/5054 नाबार्ड	11.00	14.23
9	42/5054 आदिवासी क्षेत्रों में सड़क पुल का निर्माण	48.11	—
10	24/5054 उन्नतिकरण डामरीकरण नवीनीकरण (फास्टट्रेक रिनेवल)	30.00	26.18
11	24/5054 ई0 एण्ड आई0	300.00	188.86
12	64/5054 हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	90.16	—
13	67/2059 गैर आवासीय भवनों की वेतन साधारण मरम्मत अन्य	40.00 6.00	10.13 4.49
14	67/2059 विश्राम भवन	1.50	3.56
15	67/2059 गैर आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत	1.00	—
16	67/2059 ऑफिस कन्टेजेंसी वेतन कार्यालयीन व्यय अन्य	— —	0.50 0.31
17	67/2059 RC of T&P वेतन अन्य	6.00 1.00	3.58 0.68
18	67/2059 Stock	6.00	29.73
19	67/2059 Misc Ad.	5.00	13.01
20	67/2216 आवासीय भवनों की वेतन साधारण मरम्मत अन्य	8.00 9.50	1.79 3.93
21	67/2216 आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत	1.00	—

1	2	3	4
22	67 / 2216 M.O.W. पुलिस	1.28	—
23	24 / 3054 साधारण मरम्मत (सड़क व पुल) राज्यमार्ग	वेतन	27.13
		अन्य	15.40
24	24 / 3054 (सड़क व पुल) जिला एवं अन्य सड़कें	वेतन	53.74
		अन्य	22.07
25	24 / 5054 विशेष मरम्मत राज्यमार्ग	10.00	—
26	24 / 5054 विशेष मरम्मत जिला एवं अन्य मार्ग	10.00	2.27
27	8443 डिपॉजिट कार्य (अन्य विभाग)	—	17.93
28	8443 डिपॉजिट कार्य सांसद / विधायक निधि / जनभागीदारी	—	23.33

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग  
सूचना के अधिकार अधिनियम -2005  
धारा-4(1) b-12

मेन्युअल-12

अनुदान के प्रोग्रामों के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण

- वर्तमान में संभाग द्वारा कोई भी कार्य सबसिडी प्रोग्राम के अन्तर्गत नहीं किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-13

मेन्युअल-13

रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा-पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां

- संभाग द्वारा वर्तमान में पुलों एवं नावघाट पर टोल टेक्स अधिरोपित नहीं किया जाता है।
- वी.आई.पी. अतिथिगृह, विश्राम भवन, विश्राम गृह, निरीक्षण बंगला, एवं निरीक्षण हट के उपयोग हेतु शासन द्वारा मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्रामगृह अधिभोग नियम 2001 जारी किया गया है। म0प्र0 शासन लो0 नि0 वि0 के पत्र क्र0 3-3/99/जी/19 दिनांक 23.11.2001 के आदेश अनुसार उपरोक्त अधिनियम दिनांक 1.12.2001 से प्रभावशील है।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग  
सूचना के अधिकार अधिनियम –2005  
धारा-4(1) b-14

मेन्युअल-14

संभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा रही जानकारी का विवरण

- लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट [www.mppwd.nic.in](http://www.mppwd.nic.in) पर उपलब्ध है ।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-15

मेन्युअल-15

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा सूचना के अधिकार हेतु सिटिजन चार्टर जारी किया गया है।
- जानकारी आदेश में वर्णित संबंधित से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
- जानकारी हेतु प्रथक से किसी लाइब्रेरी अथवा रीडिंग रूम की व्यवस्था नहीं है।

## मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम -2005

धारा-4(1) b-16

मेन्युअल-16

### लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य जानकारी

लोक प्राधिकरण का नाम : कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री डी० एस० नेगी	संभागीय लेखा अधिकारी	07683	242321	—	242321	—	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० संभाग टीकमगढ़ (म०प्र०)

लोक सूचना अधिकारी :

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री जी० एस० मण्डलोई	कार्यपालन यंत्री	07683	242321	242320	242321	eepwd tikam @mp. nic.in	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० संभाग टीकमगढ़ (म०प्र०)

विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री व्ही० पी० शर्मा	मुख्य अभियंता	07582	220840	—	220840	cepwd tikam @mp. nic.in	कार्यालय मुख्य अभियंता लो०नि०वि० सागर परिक्षेत्र सागर (म०प्र०)

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग  
सूचना के अधिकार अधिनियम -2005  
धारा-4(1) b-17

मेन्युअल-17

अन्य जानकारी  
निरंक